न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क्र0सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	23/24	2024/48	29.07.2024	सरकार बनाम सत्यदेव गुप्ता व अन्य	22.04.2026	1 लगायत 5

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 23/2024 (2024/48)

उनवान प्रकरण

1. वेदप्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। – आवेदक

बनाम

1. सत्यदेव गुप्ता पुत्र श्री सुनमोहन लाल गुप्ता (मौके पर विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स सत्यदेव किराना स्टोर मैन मार्केट वजीरपुर तह० वजीरपुर गंगापुरसिटी निवासी परीता रोड वजीरपुर तहः वजीरपुर गंगापुरसिटी
2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरी चरण, (प्रोपराईटर) मैसर्स राजेन्द्र एण्ड संर, अनाज मण्डी करौली 322241 निवासी अनाज मण्डी करौली मी० 9887474828 एवं 9530474642
3. गैसर्स पातीरान धनसुख दास जैन, बडा बाजार शिकोहाबाद फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश (समस्त डायरेक्टर)
4. मैसर्स पातीराम धनसुख दास जैन, बड़ा बाजार शिकोहाबाद फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश (निर्माता फार्म)

अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2)() की धारा 51 एवं 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा दिनांक 21.10.2021 को प्रातः 11:10 ए.एम पर मैसर्स सत्यदेव किरांना स्टोर, मैन बाजार वजीरपुर गंगापुरसिटी पर पहुंचे। वहां पर श्री सत्यदेव गुप्ता पुत्र मनमोहन लाल गुप्ता उपस्थित मिले जिन्हे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया श्री सत्यदेव गुप्ता ने स्वयं को फर्म मालिक होना बताया। तत्कालीन साथ सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन में श्री सत्यदेव गुप्ता से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मागा जिस पर उन्होंने खाद्य पदार्थ विकय रजिस्ट्रेशन पत्र एवं स्वंय का आधार कार्ड दिखाया एवं छाया प्रति मौके पर प्रस्तुत की जो संलग्न परिवाद है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा उक्त फर्म का निरीक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ देशी श्री (पातीसम ब्राण्ड) 500 एम. एल. गत्ता पैक में 10 पैकिट्स दुकान में एक लकडी की रेक में रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता में कमी होने का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जॉच हेतु खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) 500 एम. एल के 04 पैकिट्स खरीद कर उसकी कीमत 800/– रुपये विक्रेता श्री सत्यदेव गुप्ता को नगद अदा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री विष्णु सैनी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने हस्ताक्षर किये, जो संलग्न परिवाद है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री सत्यदेव गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री सत्यदेव गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म से 5ए इस्तगासा के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) 500 एम एल. के 04 पैकिट्स को मूल ही लेकर चार नमूना भाग तैयारकर चार लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड़ एवं क्रमाक एच –2109 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों ननूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप न एच 2109 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गांद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर रिलप व रेपर दोनों पर आयें। चारो नमूना मागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा बारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। भीक पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। फर्द रिपोर्ट इस्तगासा के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन ने कार्यालय पहुँच कर फार्म में छः की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर यह नमूना सीन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म से 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ सलग्न है। दो फॉर्म से 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म स. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मथ फार्म स. 6 की दो प्रतियों के आउटर कबर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो इस्तगासा के साथ संलग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुख्खा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/2770 दिनांक 22:10 2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य काम विश्लेषक राजा जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 23/24 (2024/48) सरकार बनाम सत्यदेव गुप्ता व अन्य

एलएस/1368/एक्ट/2021 /1698 दिनांक 15.12.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड 500 एम. एल Substandard & Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट की एक प्रति गय पत्र विक्रेता श्री सत्यदेव गुप्ता को कार्यालय द्वारा भिजवाई गई जांच रिपोर्ट एवं पत्र इस्तगासा के साथ संलग्न है।

अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संख्क्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)) की धारा 52 एवं 58 का उल्लघन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित एवं अभियुक्त सं0 3 व 4 बाबजूद तामिल उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त सं0 3 व 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष ने दौराने बहस निवेदन किया कि अभियुक्तगण द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संख्क्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)) की धारा 52 एवं 58 का उल्लघन किया है।

अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी जबाबदार एक छोटा दुकानदार है जिसके पास खादय पदार्थ विकय का लाईसेन्स है। उक्त प्रकरण में सेम्पलिंग की कार्यवाही श्री वेद प्रकाश पूर्विया द्वारा की गई है जो कि सेम्पलिंग की कार्यवाही करने के लिये सक्षम व्यक्ति नहीं है। उक्त श्री वेदप्रकाश पूर्विया द्वारा नियमों की अवहेलना की गयी है और गलत तरीके से खाली कागजों पर अभियुक्त के हस्ताक्षरों का दुरूपयोग करते हुये एक कागज को कैश मीमों का रूप दे दिया है। इस तरह भी उक्त कार्यवाही नियमानुसार नहीं होने व सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, साथ ही अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए प्रकरण की कार्यवाही ड्रॉप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

हमने उभयपक्षों की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एलएस/1368/एक्ट/2021 /1698 दिनांक 15.12.2021 निम्नानुसार हैः—

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Government of Rajasthan

STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY JAIPUR, (RAJASTHAN)

Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004

FORM-B

Test Report of the Food Analyst

[Refer Regulation (2) of 2.3.1]

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर

Report No. L.S. / 1368 / Act / 2021 / 1698 Date: 15-12-2021

Certified that I Karan Singh Tanwar, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Prem Chand Jain, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur a sample of "Ghee (Patiram Brand)" bearing Code number and Serial number H-2109 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur area on 22-10-2021 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:
The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Dairy Products and Analogues" falling under Regulation No. 2.1.8 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 29-10-2021 to 15-12-2021 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-

(1) **Sample description :** - Sample is in a sealed and intact company packed hard paper box packing of 500ml.
(2) **Physical appearance :** - Creamish yellow coloured thick fatty liquid.
(3) **Label :** -

Brand name	: - Patiram Agmark
Batch No.	: - 041
Date of Mfg. / Pkg.	: - 01 JUL 21
Best before	: - 9 months from the date of packing
Symbol for Veg. /Non Veg.	: - Green symbol given.
Nutritional Information	: - Given.
Ingredients	: - Milk fat
Name & Address of Mfr. /Pkr.	: - Patiram Dhansukh Dass Jain, Bara Bazar, Shikohabad, Dist. Firozabad -283135
FSSAI License No.	:- 12717002000023

Sl. No	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) Food Safety and Standards (Food Products standards and Food additive) Regulations, 2011. (b) As per label declaration for Proprietary food. (c) As per provisions of the Act, Rules and Regulations for both the above.
1.	Butyro refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI Manuals of method of analysis of food.	41.1	40.0 to 43.0
2.	Reichert value.	---do----	32.61	Minimum 26.0
3.	Free fatty acid as Oleic acid.	---do----	0.31%	Max.= 3%
4.	Moisture.	---do----	0.015%.	Max. =0.5%.
5.	Baudouin test.	---do----	Positive	Should be negative.
6.	Test for Mineral oil.	---do----	Negative.	Should be negative.
7.	Added colouring matter.	---do----	Absent.	Absent.
8.	Test for foreign fat	Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID.	Foreign Fat Present. (Fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee).	Foreign Fat Absent. (Fatty acid profile of sample [redacted] match with the fatty acid profile of ghee).

The Fatty acid profile of product indicates the presence of foreign fat.

Opinion- The sample of "Ghee (Patiram Brand)" bearing Code No. and Sr. No. H-2109 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-Standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. This sample also Contravenes Regulation No. 2.3.7(2) of Food Safety and Standards (Prohibitions and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 due to presence of foreign fat.

Signed this 15th day of December 2021

Food Analyst
(Authorized Signatory)
(Karan Singh Tanwar)
Food Analyst, Rajasthan
Central Public Health Laboratory
Rajasthan, Jaipur

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY CUM
The Director (P.H.), Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) का विक्रय किया गया तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं कॉन्ट्रावेन्स खाद्य पदार्थ देशी घी (पातीराम ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 व 58 के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

पृथक–पृथक रूप से जुर्माना राशि 25000–25000 रूपये (अक्षरे– पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये), कुल एक लाख रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% **STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE** में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त सं0 1 के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे तथा साथ ही आयुक्त नगर परिषद् वजीरपुर द्वारा एक माह उपरान्त प्रतिष्ठान सील किये जाने की कार्यवाही की जावे तथा आदेश की तामील तहसीलदार वजीरपुर द्वारा करवाई जाकर पालना प्रति न्यायालय में भिजवाई जावे, अभियुक्त सं0 2 के संबंध में जिला कलेक्टर करौली व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी करौली तथा अभियुक्त सं0 3 व 4 के संबंध में जिला कलेक्टर फिरोजाबाद व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी फिरोजाबाद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, **RAS**)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी